न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- **जय कौशिक** (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 114/2026
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

लाभ सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

-वादी

बनाम्

1. करतार कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. इन्द्रजीत कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह पत्नी श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद चक 6 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. परमजीत कौर पुत्री-श्री दर्शन सिंह पत्नी श्री अमर सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद चक 24 आर. बी., संगराना तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. कर्मजीत कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद चक 24 आर.बी., संगराना तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1ता4 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वकील वादी की ओर से उक्त दावा इन तथ्यो के आधार पर पेश किया कि वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक दर्शन सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह के वारिसान है। दर्शन सिंह पुत्र श्री-जमीत सिंह के नाम चक 4 एन.के.आर. ए. के खाता सं. 99/69 खाता दर्शन सिंह जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 (जमाबन्दी 2078) में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलगन है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी दर्शन सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड-है। जो कि फौत हो गए है तथा इनके वारिस वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ही है। जो कि दर्शन सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह के

लगातार --2

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम दर्ज आराजी के ब.हि.ब. के विरास्तन हकदार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपने पूर्वज दर्शन सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह से प्राप्त अपनी समस्त विरास्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः दावा की दफा 3 में दर्शन सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी लाभ सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे मुझ वादी को दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे लेकिन पहले तो वे टाल मटोल करते रहे। लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये। यही विनाय दावा है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश होने के बाद सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1ता4 की ओर से जरिये वकील जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जरिये राजपैरोकार जवाब दावा पेश किया जो शामिल किया गया। वादी तथा प्रतिवादी सं. 1ता4 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वाद वादी डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिये उक्त प्रकरण में जवाब उल जवाब तथा तनकीआत की कोई आवश्यकता नही है। साक्षय वादी में वकील वादी द्वारा वादी लाभ सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत ओ. 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया जो शामिल पत्रावली किया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नही करने पर साक्षय बंद किये गये। दौराने बहस वकील वादी द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता4 की विरास्तन कृषि भूमि है। जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को दर्शन सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह के फौत होने के बाद विरास्तन प्राप्त हुई है तथा

लगातार --3

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उक्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा वाद वादी डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। इसलिये वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्षय तथा आपसी सहमति के आधार पर उक्त दावा पूर्णतः सिद्ध होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-::क्रियात्मक आदेश::-

वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 4 एन.के.आर. ए. के खाता सं. 99/69 खाता दर्शन सिंह जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 (जमाबन्दी 2078) में दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से दर्शन सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/4/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया